



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082026-275807
CG-DL-E-26082026-275807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4524]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4524]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4709(अ).— केन्द्रीय सरकार सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 3 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राज्य सभा को राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित करती है। तदनुसार, दिनांक 4 मई 2022 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा (ग) (जो कि दिनांक 02 जनवरी 2025 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा संशोधित किया गया था) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

(ग) डॉ. कदियम काव्या और श्रीमती भारती पारधी, लोकसभा सदस्य और श्रीमती रेखा शर्मा, राज्यसभा सदस्य. सदस्य के रूप में।

[फा. सं. यू. 11019/03/2022-एचआर (पार्टी)]

ऋचा खोडा. संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health Research)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2026

S.O. 4709(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and Section 17 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the Central Government hereby includes Smt. Rekha Sharma, Member, Rajya Sabha as Member in the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board. Accordingly, para (c) of the notification no. of even no. dated 4th May, 2022 (which was modified vide notification of even no, dated 2nd January, 2025) shall read as under:

(c) Dr. Kadiyam Kavya and Smt. Bharti Pardhi, Members of Lok Sabha and Smt. Rekha Sharma, Member of Rajya Sabha as Members.

[F. No. U.11019/03/2022-HR(Part)]

RICHA KHODA, Jt. Secy.